

प्रेस नोट

देश में कोविड-19 की स्थिति की व्यापक समीक्षा उपरांत भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लॉकडाउन को 4 मई, 2020 से दो सप्ताह और बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी किया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों या कार्यों के विनियमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जो देश के जिलों के रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज जोन में बदलने के जोखिम पर आधारित हैं।

भारत सरकार के आदेश के अध्याधीन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिनांक 4 मई, 2020 से सोशल एवं पर्सनल डिसटेंसिंग का पालन करते हुए राज्य की मदिरा दुकानों को संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। सोशल डिसटेंसिंग एवं कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से होम डेलिवेरी की अनुमति भी शासन के द्वारा प्रदान की गई है।

राज्य की मदिरा दुकानें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कोर्पोरेशन के द्वारा संचालित हैं। शासन के आदेश के पालन में मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने सोशल एवं पर्सनल डिसटेंसिंग के पालन की दृष्टि से डेलिवेरी बॉय के माध्यम से मदिरा प्रदाय की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। यह व्यवस्था वर्तमान में भारत सरकार के आदेश के तहत ग्रीन जोन में शुरू की गई है। मदिरा की बुकिंग की वेबसाइट का ऐड्रेस <http://csmcl.in> है। उक्त वेबसाइट के माध्यम से मदिरा की डेलिवेरी की बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग वेबसाइट <http://csmcl.in> में जाकर  बटन को क्लिक कर अथवा गूगल प्ले स्टोर में CSMCL APP खोज कर उसे एंड्रोएड मोबाइल में इंस्टॉल किया जा सकता है तथा मोबाइल के माध्यम से भी बुकिंग की जा सकती है। ग्राहक को अपना मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड तथा पूर्ण पता दर्ज कर पंजीयन करना होगा। पंजीयन ओ०टी०पी० के माध्यम से कन्फर्म होगा।

पंजीयन उपरांत ग्राहक को लॉगिन करने के पश्चात अपने जिले के निकट के 1 विदेशी दुकान, 1 देशी दुकान तथा एक प्रीमियम दुकान को ड्रॉप डाउन के माध्यम लिंक करने की सुविधा प्रदान की गई है। ग्राहक की सुविधा के लिए जिले की समस्त मदिरा दुकानों को गूगल मैप पर देखने की सुविधा भी प्रदान की गई है जिससे ग्राहक के द्वारा आसानी से अपनी निकट की दुकान का चयन कर लिंक किया जा सकता है। लिंक की गई दुकान से मदिरा डोर डेलिवेरी के लिए बुक की जा सकती है। ग्राहक को संबंधित मदिरा दुकान में उपलब्ध मदिरा की सूची एवं उसका मूल्य प्रदर्शित किया गया है जिसमें से अपनी पसंद की मदिरा को अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकता है। ग्राहक एक मदिरा दुकान से एक बार में 5000 एम०एल० तक मदिरा डोर डेलिवेरी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

ग्राहक के द्वारा बुक की गई मदिरा सुपरवायजर के द्वारा पैक किए जाने पर ग्राहक को स्वतः ओ०टी०पी० प्राप्त हो जाएगी। डेलिवेरी बॉय के द्वारा ऑर्डर की गई मदिरा प्रदान किए जाने पर उन्हें मदिरा की मूल्य तथा डेलिवेरी चार्ज रुपए 120/- का भुगतान करना होगा। भुगतान पश्चात ग्राहक को ओ०टी०पी० डेलिवेरी बॉय को डेलिवेरी पूर्ण करने के लिए प्रदान करना होगा। इस प्रकार बुक की गई मदिरा की डेलिवेरी पूर्ण हो जाएगी।